राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विस्तृत–निर्देश

(विज्ञापन संख्या 01/2021)

राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (APHC) में जिला स्तरीय Medical Officer के संविदागत रिक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु सभी जिला स्वास्थ्य समिति (जैसा कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट statehealthsocietybihar.org में प्रकाशित है) में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को 10:00 बजे पूर्वाह्न से (अवकाश अथवा विशेष परिस्थिति में उसके अगले दिन) Walk-in-Interview का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इस प्रक्रिया अन्तर्गत प्रथम Walk-in-Interview फरवरी, 2021 माह के प्रथम सोमवार यानि 01.02.2021 को आयोजित किया जाएगा।

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता/अर्हता	एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह
Medical Officer-APHC	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट के Online Doctor Recruitment Management System के लिंक पर उपलब्ध जिलावार रिक्तियों के अनुसार	• Minimum MBBS degree from recognised Institutions/University (with one year essential internship). • The above qualification must be registered with Bihar Council of Medical Registration or Medical Council of India/National Medical Commission till cut off date.	**₹65,000/-** (पैंसठ हजार रुपये मात्र)

नोटः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 11/आ०नी०–1–11/2015 सा०प्र० 963 दिनांक 20.01.16 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, संकल्प सं०–13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण तथा पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती एवं नाती/नतिनियों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

निर्देशः–

1. उक्त पद का विज्ञापन, विस्तृत–निर्देश, TOR, Application Form आदि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट– **statehealthsocietybihar.org** पर उपलब्ध है, जिसे download किया जा सकता है।
2. उक्त पद हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष (सभी कोटियों के लिए) होगी। आयु एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut off Date संबंधित Walk-in-Interview की तिथि होगी। दिशा–निर्देश का अनुपालन एवं TOR तथा विस्तृत निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
3. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट–statehealthsocietybihar.org पर Online Doctor Recruitment Management System के लिंक पर क्लिक करके निर्धारत मापदण्ड एवं अर्हता के अनुसार Online Registration करेंगे। Registration Form में इंगित Application Form को Download कर Print करेंगे। अभ्यर्थी Application Form में वांछित सूचनायें भरकर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित Walk-in-Interview की निर्धारित तिथि एवं समय पर Online generated application letter, Application Form, सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों यथा–शैक्षणिक योग्यता/अनुभव/जाति प्रमाण–पत्र/किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने के आशय का शपथ–पत्र/जन्म–तिथि की साक्ष्य हेतु मैट्रीक उत्तीर्णता की मूल प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की मूलप्रति के साथ एक स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो के साथ नीचे लिखे कार्यक्रमानुसार Walk-in-Interview में भाग ले सकते हैं:–

स्थान	Walk-in-Interview की तिथि एवं समय
संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का कार्यालय	प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को 10:00 बजे पूर्वाह्न से (अवकाश अथवा विशेष परिस्थिति में उसके अगले दिन)

4. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का अगला विस्तार 65 वर्ष की आयु तक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कभी भी विधिसम्मत् तरीके से संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

5. संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

6. अभ्यर्थी चयन के उपरांत APHC में नियोजन हेतु इच्छानुसार अधिकतम तीन APHCs का विकल्प दे सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

7. <u>आरक्षणः</u>–

(i) आरक्षण सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं अर्थात् अन्य राज्य के मूलवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

(iv) उसी प्रकार, आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के पास सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 08.03.11 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

(v) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर) का होना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र (अनुसूची–1/प्रपत्र–1) मान्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2326 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम–से–कम 40% या

उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (DHS) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के नाती/नतिनी/पोता/पोती को रिक्ति के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण–पत्र एवं पहचान–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियोजन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

8. उक्त पद पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन भरा जाना है। आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। इस प्रकार, अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करते समय Active E-Mail ID एवं Mobile Number इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-Mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।

10. <u>चयन का आधार/मापदण्ड का निर्धारण</u>

Medical Officer-APHC के पद पर नियोजन हेतु MBBS की परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(a) MBBS की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 01 के गुणक से गुणा कर के किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा MBBS में 50% प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 X 01 = 50 अंक दिये जाएंगे।

(b) किसी अभ्यर्थी को MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक प्रदान किया हो तो, यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से MBBS की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक को प्रतिशत में Convert किया गया होगा तो उसी प्रतिशत को आधार बनाया जायगा, अन्यथा ग्रेड अथवा CGPA अंकधारी अभ्यर्थी को फ्लैट रेट से 50% अंक निर्धारित किया जाएगा, जो न्यूनतम अर्हतांक माना जाएगा।

(c) स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 2/नियुक्ति–01/2010–297(2) दिनांक 04.03.2015 के तहत विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों के MBBS प्राप्तांक की गणना 50% पर की जानी है तथा उनका निबंधन MCI/NMC से होना अनिवार्य है।

11. **<u>मेधासूची में Tie होने पर दिशा–निर्देश</u>**

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधासूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधासूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा अर्थात, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

12. उक्त पद के Walk-in-Interview में शामिल होने हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।

13. बिना किसी पूर्व सूचना के रिक्ति/कोटिवार रिक्ति की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नियोजन के पूर्व एवं नियोजन के पश्चात् करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति उक्त पदों या पदों की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

12/1/21

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।